लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2747
04 अगस्त, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

हैंडलूम हैकाथॉन-2026

2747. श्री अभय कुमार सिन्हाः

क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए हैंडलूम हैकाथॉन-2026 तथा अन्य योजनाओं के लाभ बिहार के बुनकरों को उपलब्ध कराए जाने की संभावना है;
(ख) क्या औरंगाबाद संसदीय क्षेत्र के बुनकरों एवं हस्तशिल्प कारीगरों को इन योजनाओं से जोड़ने का कोई प्रस्ताव है;
(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान औरंगाबाद संसदीय क्षेत्र के बुनकरों को प्रदान की गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है; और
(घ) क्या सरकार औरंगाबाद संसदीय क्षेत्र में हथकरघा/वस्त्र क्लस्टर स्थापित करने पर विचार कर रही है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
वस्त्र राज्य मंत्री
(श्री पबित्र मार्घेरिटा)

(क): हैंडलूम हैकाथॉन 2026 – "बुनाई में नवाचार", विकास आयुक्त (हथकरघा) कार्यालय, वस्त्र मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक अखिल भारतीय पहल है जोकि बिहार राज्य सहित देश भर के पात्र प्रतिभागियों के लिए खुली हुई है। इस हैकाथॉन का उद्देश्य हथकराघा क्षेत्र के लिए नवाचार को बढ़ावा देना और तकनीक, डिज़ाइन और बाजार आधारित समाधान विकसित करना है। बिहार राज्य के बुनकर, कारीगर, छात्र, डिज़ाइनर, टेक्नोलॉजिस्ट, उद्यमी, शोधकर्ता और स्टार्ट-अप इस हैकाथॉन में भाग लेने और मेंटोरिंग, इनक्यूबेशन और टेक्नोलॉजी, डिज़ाइन व मार्केट पहुँच सहित हैकाथॉन से मिलने वाले लाभ का फायदा उठाने के पात्र हैं।
इसके अलावा, वस्त्र मंत्रालय बिहार सहित पूरे देश में हथकरघा और हस्तशिल्प क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए विभिन्न योजनाएं कार्यान्वित कर रहा है। इनमें राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी), कच्चा माल

आपूर्ति योजना (आरएमएसएस), व्यापक हथकरघा क्लस्टर विकास योजना (सीएचसीडीएस) और राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी) शामिल हैं।

राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम के तहत, पात्र हथकरघा एजेंसियों/बुनकरों को कच्चा माल, उन्नत करघे और सहायक उपकरण की खरीद, सोलर लाइटिंग यूनिट, वर्कशेड के निर्माण, कौशल प्रशिक्षण, उत्पाद और डिज़ाइन विकास, तकनीकी और सामान्य अवसंरचना, घरेलू/विदेशी बाज़ारों में हथकरघा उत्पादों की मार्केटिंग, बुनकर मुद्रा योजना के तहत रियायती ऋण, छात्रवृत्ति और सामाजिक सुरक्षा आदि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

इसी प्रकार, राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम के तहत, पूरे देश में हस्तशिल्प क्षेत्र के समग्र विकास और उसे बढ़ावा देने के लिए, औरंगाबाद सहित देश भर के कारीगरों को शुरू से आखिर तक सहायता देने के लिए आवश्यकता आधारित वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के मार्केटिंग सेवा और सहायता घटक के तहत, बिहार राज्य के औरंगाबाद ज़िले समित पूरे भारत से अपने उत्पादों को प्रदर्शित और बिक्री का अवसर प्रदान करते हुए हस्तशिल्प कारीगरों को मार्केटिंग कार्यक्रमों में भाग लेने हेतु नामित जाता है।

(ख): वर्तमान में बिहार राज्य के औरंगाबाद जिले के लिए ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं

(ग): बिहार राज्य में पिछले 3 वर्षों के दौरान 677 लाभार्थियों को कवर करते हुए 4 क्लस्टर विकास कार्यक्रमों (सीडीपी) के लिए 235.48 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। वर्ष 2022-23 के दौरान, बिहार राज्य के औरंगाबाद ज़िले में 329 लाभार्थियों को कवर करते हुए 2 सीडीपी योजनाओं के लिए 325.434 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।

(घ): वर्तमान में बिहार राज्य के औरंगाबाद जिले के लिए ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।
